छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायधीश और
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 1033/1995

गोबरु (मृत) और अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

विचार के लिए

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री राजीव गुप्ता, न्यायधीश

सही
मुख्य न्यायधीश

निर्णय के लिए सूचीबद्ध करें।

सही/-
न्यायधीश
8/06/2012

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायधीश और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 1033/1995

अपीलकर्ता : 1. गोबरु, उर्फ़ गोबर्धन, पिता खोर बहरा पाली , उम्र लगभग 45 वर्ष (मृत - अपील, सन्दर्भीत आदेश दिनांक 04/01/2008 के अनुसार उपशमित हो गया।

2. गुड्डू, उर्फ़ सुखचेन पिता गोबर्धन पाली उम्र लगभग 21 वर्ष

3. बाली, उर्फ़ सुरेश पिता गोबर्धन पाली उम्र लगभग 19 वर्ष सभी अपीलकर्ता निवासी पाली पारा, कवर्धा जिला राजनांदगाव मध्य प्रदेश (वर्तमान में छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य), द्वारा थाना प्रभारी पुलिस थाना, राजनांदगाव

(दाण्डिक अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन)

उपस्थित :

श्री राजीव श्रीवास्तवा और श्री के. एन. नंदे, अधिवक्ता अपीलकर्ताओं के ओर से

श्री किशोर भादुरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता राज्य की ओर से

निर्णय

(20 जून, 2012 को प्रदत्त)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **माननीय न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा**, द्वारा प्रदत्त -

(1) यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़, श्रृंखला न्यायालय कवर्धा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 21/95 में दिनांक 12 जुलाई, 1995 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त अपीलित निर्णय द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा उन्हें आजीवन कारावास एवं ₹500/- के जुर्माना से दंडित किया गया, तथा जुर्माना न अदा करने की स्थिति में 6 माह का सश्रम कारावास भोगना होगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) अपीलकर्ता क्रमांक 1– गोबारू @ गोबरधन की अपील की लंबित रहने के दौरान दिनांक 23.09.2004 को मृत्यु हो गई, अतः अपीलकर्ता क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वतः ही उपशमित हो गई है ।

(3) सांक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं:-

> दिनांक 02.09.1994 को प्रातः लगभग 7.30 बजे मृतक – कालिराम, अमोल सिंह (अ.सा.-6) की रिक्शा पर जा रहा था। जैसे ही वे सुरजीत होटल के पास पहुँचे, अपीलकर्ता क्रमांक 1 लाठी लेकर रास्ते में आया, रिक्शा रोक दिया तथा मृतक से झगड़ा करने लगा। अपीलकर्ता क्रमांक 1 के दोनों पुत्र (अपीलकर्ता क्रमांक 2 एवं 3) भी वहाँ लाठी लेकर आ गए और तीनों ने मिलकर मृतक पर लाठियों से हमला कर दिया। मृतक को कई गंभीर चोटें आईं और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को दीपक कुमार (अ.सा.-1

– मृतक का दामाद), संतोष कुमार (अ.सा.-2) तथा अमोल सिंह (अ.सा.-6) ने देखा। घटना का कुछ भाग बेनबती बाई (अ.सा.-3), बेला बाई (अ.सा.-4) तथा दर्राज (अ.सा.-5) ने भी देखा। दीपक कुमार (अ.सा.-1) ने मर्ग सूचना (प्रदर्श पी./1) तथा प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर. – प्रदर्श पी./2) दर्ज कराई। मर्ग सूचना (प्रदर्श पी./1) एवं एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी./2) में अपीलार्थियों के नाम दर्ज हैं। अन्वेषक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, पंचों को सूचना (प्रदर्श पी./15) दिया तथा मृतक के शव का पंचनामा (प्रदर्श पी./5) तैयार किया। मृतक के शव को शवपरीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कवर्धा भेजा गया। शवपरीक्षण डॉ. एन.के. यदु (अ.सा.-7) द्वारा किया गया। उन्होंने मृतक के शव पर निम्नलिखित चोटें पाईं—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i)बाएँ कान के पास चेहरे के बाएँ हिस्से पर 2 x 0.5 सेमी का विदीर्ण घाव;

(ii)बाएँ कनपटी पर 1.5x0.5 सेमी का विदीर्णघाव;

(iii) बाएँ निचले जबड़े के कोण पर 3 x 2 सेमी की नीलगू ;

(iv) गर्दन के पार्श्व भाग पर 4 x 2 सेमी की नीलगू ;

(v) दाएँ निचले जबड़े के कोण पर 2 x 2 सेमी की नीलगू ;

(vi) बाएँ जांघ के ऊपरी एक-तिहाई भाग पर 3 x 2 सेमी की नीलगू ;

(vii) बाएँ जांघ के निचले एक-तिहाई भाग पर 4 x 2 सेमी की नीलगू ; तथा

(viii) दाएँ कंधे पर 3 x 2 सेमी की नीलगू

आंतरिक परीक्षण के दौरान उन्होंने बाएँ कनपटी हड्डी में फैलावदार फ्रैक्चर पाया। मस्तिष्क के बाएँ टेम्पोरल लोब पर मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव पाया गया। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक की राय थी कि सभी चोटें मृत्यु-पूर्व की थीं तथा कड़े एवं भोथरे वस्तु से कारित की

गई थीं। मृत्यु का कारण खोपड़ी की हड्डी टूटने और मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव के परिणामस्वरूप कोमा में जाना था, और यह मानव वध प्रकृति की थी ।"शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी./9 है।

आगे की अन्वेषण के दौरान अपीलार्थियों को अभिरक्षा में लिया गया तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उसका प्रकर्यकरण कथन(प्रदर्श पी./4, प्रदर्श पी./10 एवं प्रदर्श पी./12) अभिलिखित किए गए तथा उसकी निशानदेही पर लाठियाँ जप्त की गईं, जिसकी जप्ती **पत्रक** प्रदर्श पी./5, प्रदर्श पी./11 एवं प्रदर्श पी./13 हैं।

माननीय सत्र न्यायाधीश ने मुख्यतः दीपक कुमार (अ.सा.-1), संतोष कुमार (अ.सा.-2) तथा अमोल सिंह (अ.सा.-6) की साक्ष्य पर भरोसा किया और बेनबती बाई (अ. सा.-3), बेला बाई (अ. सा.-4) तथा दर्राज (अ सा.-5) के साक्ष्य का समर्थन लेते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि यह सभी युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध है कि अपीलार्थियों ने मृतक पर उसकी हत्या करने के सामान्य आशय से हमला किया था, अतः वे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दंड के भागीदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित माननीय अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि दीपक कुमार (अ.सा.-1) मृतक का दामाद है तथा बेनबती बाई (अ.सा. -3) मृतक की समधन है, अतः वे हितबद्ध साक्षी हैं और माननीय सत्र न्यायाधीश ने उनके कथनों पर भरोसा कर त्रुटि की ।

(5) **नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2007 ए आई आर एससीडब्लू 1835** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि कोई साक्षी जो मृतक अथवा अपराध के पीड़ित का संबंधी है को 'हितबद्ध' नहीं कहा जा सकता। 'हितबद्ध' शब्द का आशय यह है कि साक्षी का किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो, जिसके कारण वह किसी वैर या किसी अन्य अनुचित उद्देश्य से अभियुक्त को दोषसिद्ध कराना चाहता हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

यह भी कहा कि निकट संबंधी को 'हितबद्ध' साक्षी नहीं कहा जा सकता, बल्कि वह एक 'स्वाभाविक' साक्षी होता है। हालांकि उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक विश्लेषण की जानी चाहिए। यदि ऐसी विश्लेषण के उपरांत उसका साक्ष्य अंतर्निहित रूप से विश्वसनीय, स्वभावतः संभाव्य तथा पूर्णतः भरोसेमंद पाया जाता है, तो ऐसे साक्षी के 'एकमात्र' कथन के आधार पर भी दोषसिद्ध किया जा सकता है । साक्षी का मृतक अथवा पीड़ित से निकट संबंध होना उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक का निकट संबंधी सामान्यतः वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने में सबसे अधिक अनिच्छुक होता है।

(6) **धामीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा अन्य संबद्ध अपीलें, (2010) 7 एस सी सी 759** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह दोहराया कि ऐसा कोई कठोर एवं अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि परिवार के सदस्य घटना के सच्चे साक्षी नहीं हो सकते अथवा वे सदैव न्यायालय के समक्ष असत्य बयान ही देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि मृतक का कोई निकट संबंधी मात्र इस आधार पर स्वतः ही 'हितबद्ध साक्षी' नहीं बन जाता। हितबद्ध साक्षी वह होता है जो किसी बैर, शत्रुता या विवाद के कारण किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध कराने में रुचि रखता हो और न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के बजाय केवल उसी मंशा से न्यायालय में बयान देता हो। हालांकि, हितबद्ध साक्षी के कथन को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे स्वीकार करने से पूर्व सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। जब उनके बयानों की पुष्टि अन्य गवाहों, विशेषज्ञ साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों से होती है, जो स्पष्ट रूप से आरोपी के अपराध को इंगित करने वाले साक्ष्यों की श्रृंखला को पूरा करती हैं, तब न्यायालय तथाकथित " हितबद्ध साक्षी" के बयानों पर भरोसा कर सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) अन्य अनेक मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि साक्षी का संबंध मात्र उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करने का कोई आधार नहीं है। प्रायः ऐसा नहीं होता कि

कोई संबंधी वास्तविक अपराधी को छिपाकर किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए। यदि झूठे फँसाए जाने का तर्क प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके लिए ठोस आधार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए साक्ष्यों का विश्लेषण करना होता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे साक्ष्य, ठोस एवं विश्वसनीय हैं या नहीं।

(8) अतः यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि केवल इस आधार पर कि साक्षी मृतक के संबंधी हैं, उनके अभिकथन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि, उनके साक्ष्य की समुचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ विश्लेषण किया आवश्यक है और यदि संवीक्षा के उपरांत उनका साक्ष्य विश्वसनीय पाया जाता है, तो उनके ऐसे कथनों के आधार पर दोषसिद्धि विधिपूर्वक की जा सकती है। वर्तमान प्रकरण केवल दीपक कुमार (अ.सा.-1) तथा बेनबती बाई (अ.सा.-3) के कथनों पर ही आधारित नहीं है। इसके अतिरिक्त चार अन्य चक्षुदर्शी साक्षी भी हैं, जिन्होंने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया है। अतः उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में सभी साक्षियों की विश्वसनीयता का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) दीपक कुमार (अ. सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना वाले दिन प्रातः मृतक ने उससे बिलासपुर-नाका तक छोड़ने के लिए कहा था। दीपक कुमार ने कहा कि वह कपड़े बदलकर आ रहा है। इसी बीच मृतक ने रिक्शा ले लिया और चला गया। दीपक कुमार भी मृतक के पीछे-पीछे गया। जब वह सुरजीत होटल के पास पहुँचा, तो उसने देखा कि अपीलकर्ता मृतक पर लाठियों से बेरहमी से हमला कर रहे थे। जब वह अपीलार्थियों के पास गया और उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अपीलार्थियों ने कहा कि वे उसे भी मारेंगे। इसके बाद वह सरपंच के घर की ओर भागा।

(10) संतोष कुमार (अ.सा.-2) ने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना वाले दिन प्रातः वह नदी में स्नान करने जा रहा था। उसने अपीलार्थियों को गोकुल की पान दुकान के पास बैठे हुए देखा। उसी समय मृतक मुख्य सड़क पर बाजार की ओर से रिक्शा पर आ रहा था। अपीलार्थियों ने उसे रोक लिया। मृतक रिक्शे से उतर गया और कहा कि यदि वे उसे मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। इसके बाद वह नदी की ओर चला गया। जब वह वापस लौट रहा था, तो उसने देखा कि अपीलकर्ता गोबारू ने मृतक के माथे के दाएँ हिस्से पर वार किया। इसके बाद अपीलकर्ता गुड्डू ने मृतक के माथे के बाएँ हिस्से पर वार किया। वह चिल्लाने लगा। इसके पश्चात अपीलकर्ता बलिराम ने मृतक की पीठ पर भी वार किया, जिससे मृतक गिर पड़ा। उसी समय मृतक का दामाद दीपक कुमार (अ. सा.-1) भी वहाँ पहुँच गया। दीपक कुमार (अ. सा.-1) ने मृतक को अपनी गोद में लिया, किन्तु मृतक को आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) अमोल सिंह (अ.सा.-6) जो कि रिक्शा चालक था, के अनुसार वह मृतक को अपने रिक्शा पर ले जा रहा था। रास्ते में अपीलकर्ता क्रमांक 1 ने अपनी लाठी से उसके रिक्शा पर प्रहार किया, जिससे रिक्शा रुक गया। मृतक रिक्शा से उतर गया। इसके पश्चात अपीलकर्ता क्रमांक 1 और मृतक के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इसके तुरंत बाद वह अपना रिक्शा लेकर वहाँ से चला गया।

(12)श्री श्रीवास्तव ने उपर्युक्त चक्षुदर्शी साक्षियों के बयानो में समय तथा हमले की प्रकृति आदि से संबंधित विरोधाभासों की ओर संकेत किया है। हमने इन साक्षियों के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है। श्री श्रीवास्तव द्वारा इंगित किए गए विरोधाभास मामूली हैं। वे कोई महत्वपूर्ण या

मौलिक विरोधाभास नहीं हैं और न ही वे मामले की जड़ तक जाते हैं। उपर्युक्त चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के मूल्यांकन से यह नहीं कहा जा सकता कि वे कोई झूठा कथन प्रस्तुत कर रहे थे या अपीलार्थियों को इस अपराध में झूठा फँसा रहे थे। वास्तव में, उनकी लंबी प्रतिपरीक्षण के बावजूद बचाव पक्ष ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं ला सका, जिसके आधार पर उनके कथनों को अस्वीकार किया जा सके।

(13) उपर्युक्त चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को डॉ. एन.के. यदु (अ सा.-7) के चिकित्सकीय साक्ष्य से भी पुष्टि मिलती है, जिन्होंने मृतक के शव का परीक्षण किया तथा उपर्युक्त चोटें पाईं और यह राय व्यक्त की कि मृतक के शव पर पाई गई चोटें लाठी जैसी कठोर एवं भोंथरी वस्तु से कारित की जा सकती हैं।

(14) उपर्युक्त मुख्य चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को बेनबती बाई (अ. सा.-3), बेला बाई (अ. सा.-4) तथा दर्राज (अ. सा.-5) के साक्ष्य से भी और अधिक पुष्टि मिलती है, जिन्होंने भी मुख्य रूप से मारपीट की घटना को देखा था। इन साक्षियों ने भी अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अपीलार्थियों को मृतक पर लाठियों से हमला करते हुए देखा था। इन साक्षियों की भी बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण की गई, किन्तु बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई भी तथ्य या परिस्थिति सामने नहीं ला सका, जिसके आधार पर उनके कथनों को अस्वीकार किया जा सके या यह कहा जा सके कि वे अपीलार्थियों के विरुद्ध झूठा कथन कर रहे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) उपर्युक्त चक्षुदर्शी साक्षियों, विशेष रूप से दीपक कुमार (अ. सा.-1) के साक्ष्य को उसके द्वारा दर्ज कराई गई मर्ग सूचना (प्रदर्श पी. /1) तथा प्रथम सूचना प्रतिवेदन(एफ.आई.आर. – प्रदर्श पी./2) से भी पुष्टि प्राप्त होती है। इन दस्तावेजों में उसने घटना का विवरण तथा हमलावरों के नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित किए हैं।

(16) घटना प्रातः लगभग 7.30 बजे गाँव के घनी आबादी वाले क्षेत्र में एक होटल के पास हुई थी। यह प्रातः का समय था जब सामान्यतः ग्रामीण नदी की ओर जाते हैं। अधिकांश चक्षुदर्शी साक्षियों ने यह कहा है कि वे उसी समय नदी की ओर जा रहे थे और उन्होंने घटना को देखा। अपीलकर्ता तथा मृतक पहले से ही चक्षुदर्शी साक्षियों को जानते थे, यह तथ्य अखण्डित रहा है, अतः पहचान में किसी प्रकार की भूल का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उपर्युक्त 6 चक्षुदर्शी साक्षियों के संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि वे प्राकृतिक साक्षी थे, जिन्होंने बहुत निकट से घटना को

देखा था। हमारे राय में, मामले के उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा इन साक्षियों के कथनों पर भरोसा करना तथा यह निष्कर्ष निकालना कि अपीलार्थियों ने मृतक पर लाठियों से हमला किया, जिससे उसे उपर्युक्त चोटें आईं और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई, पूर्णतः उचित है।

(17) श्री श्रीवास्तव ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि अमोल सिंह (अ.सा.-6) के अनुसार केवल अपीलकर्ता क्रमांक 1 ने ही रिक्शा रोका और मृतक से झगड़ा शुरू किया। अतः सामान्य आशय के संबंध में किसी भी साक्ष्य के अभाव में अपीलकर्ता क्रमांक 2 एवं 3 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के सहारे दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

(18) सर्वप्रथम सिद्धांतों पर दृष्टि डालते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(19) धारा 34 आपराधिक कृत्य को संयुक्त रूप से करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। यह स्वयं में कोई स्वतंत्र अपराध नहीं बनाती। अनेक व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी आपराधिक कृत्य के दौरान एक व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए दूसरे व्यक्ति की दायित्वता धारा 34 के अंतर्गत तब उत्पन्न होती है, जब ऐसा आपराधिक कृत्य उन सभी व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने किया गया हो, जिन्होंने मिलकर अपराध किया हो। सामान्य आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण होना आवश्यक नहीं है, बल्कि प्रत्येक प्रकरण के सिद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों से ऐसा आशय का निष्कर्ष निकाला जा सकता है।सामान्य आशय स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अभियुक्त का आशय अन्य अभियुक्तों को ज्ञात हो और सभी द्वारा उसके अग्रसरण में कृत्य किया गया हो। सामान्य आशय का निर्धारण अभियुक्तों के कृत्य, आचरण अथवा प्रकरण की अन्य सुसंगत परिस्थितियों से किया जाना होता है। अभियुक्तों के विरुद्ध यह निष्कर्ष निकालने हेतु कि उन्होंने अपराध करने का सामान्य आशय रखा था, प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार किया जाना आवश्यक है। यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि

सभी अभियुक्तों के बीच अपराध करने के लिए कोई योजना अथवा पूर्ण सहमति था, चाहे वह पूर्व नियोजित हो या अचानक उत्पन्न हुआ हो; किंतु वह अपराध किए जाने से पूर्व अवश्य होना चाहिए।

(20) अमोल सिंह (अ.सा.-6) वह साक्षी है, जिसके रिक्शा पर मृतक जा रहा था। उसके अनुसार उसका रिक्शा अपीलकर्ता क्रमांक 1 द्वारा रोका गया, जिसने सबसे पहले अपनी लाठी से उसके रिक्शा पर प्रहार किया और तत्पश्चात जब मृतक रिक्शा से उतर गया, तो उससे झगड़ा करने लगा। अमोल सिंह (अ. सा.-6) ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उक्त घटना के इस भाग के तुरंत बाद वह अपना रिक्शा लेकर घटनास्थल से चला गया। अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के प्रकाश में यह

स्पष्ट है कि अमोल सिंह (अ. सा.-6) ने पूरी घटना नहीं देखी थी। संतोष कुमार (अ. सा.-2) ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि तीनों अपीलकर्ता गोकुल की पान दुकान के पास एक साथ बैठे हुए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम अपीलकर्ता क्रमांक 1 ने रिक्शा रोका, उस पर प्रहार किया और मृतक से झगड़ा किया तथा इसके बाद अपीलकर्ता क्रमांक 2 एवं 3 भी वहाँ आ गए और तत्पश्चात तीनों ने मिलकर मृतक पर लाठियों से हमला किया। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रमांक 2 एवं 3 को किसी प्रकार की सक्रिय भूमिका नहीं दी गई हो। यह ऐसा मामला है जिसमें पाँच चक्षुदर्शी साक्षियों ने यह बयान दिया है कि अपीलकर्ता क्रमांक 2 एवं 3 ने भी अपीलकर्ता क्रमांक 1 के साथ मिलकर मृतक पर बार-बार लाठियों से प्रहार कर शारीरिक रूप से चोट पहुंचने में शामिल थे।

(21) अभियुक्तों के कृत्य, आचरण तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह सिद्ध हो गया है कि अपीलकर्ता क्रमांक 2 एवं 3 ने अपीलकर्ता क्रमांक 1 के साथ मिलकर मृतक की हत्या करने का सामान्य आशय रखा था, क्योंकि तीनों ने मिलकर, जब मृतक रिक्शा पर जा रहा था, उस पर बार-बार लाठियों से प्रहार किया। उपर्युक्त साक्ष्यों के प्रकाश में श्री श्रीवास्तव द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं।

(22) उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें इस अपील में कोई सार नहीं दिखाई देता। अतः अपीलार्थियों (अपीलकर्ता क्रमांक 2 एवं 3) द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

सही

मुख्य न्यायधीश

सही

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी
जाएगी।

Translated By – Adv. Shikha Kaushik